

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.03.2023

अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब बनाते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अपमिश्रित कच्ची शराब, यूरिया, नौशादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन /अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त गंगाराम सोनकर को बहद ग्राम भोपालपुर चौबे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 ली० अपमिश्रित अवैध शराब मय 328 ग्राम यूरिया व 176 ग्राम नौशादर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01- गंगाराम सोनकर पुत्र फूलचन्द निवासी भोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-104/2023 धारा 60,60(2) आबकारी अधि० व 272 भा०द०वि० थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 18 लीटर अपमिश्रित अवैध शराब
02. 228 ग्राम यूरिया
03. 176 ग्राम नौशादर बरामद।
04. शराब बनाने के उपकरण।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

उ०नि० चन्द्रशेखर प्रकाश सिंह मय टीम थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.03.2023

चोरी करने का अभियुक्त माल के साथ गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना मोतीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी करने का अभियुक्त- मंगल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का एक अदद मोबाइल सेट सैमसंग M-10 गहरे नीले रंग का बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0-072/2023 धारा- 379, 411 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मंगल पुत्र लाल मुन्ना निवासी काजीदेवर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-72/2023 धारा- 379, 411 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. एक अदद मोबाइल सैमसंग M-10 गहरे नीले रंग का बरामद

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.03.2023

डीजल/पेट्रोल चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त वाहन व 60 ली0 डीजल व 40 ली0 पेट्रोल बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने मु0अ0स0-207/2023 धारा 379, 411 भादवि से सम्बन्धित डीजल चोर गिरोह के 01 सदस्य सानू सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 60 ली0 डीजल, 40 लीटर पेट्रोल, 04 अदद प्लास्टिक के खाली डिब्बे, एक अदद डीजल निकालने का पाइप, व घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन UP51AT2968 महिन्द्रा जीटो बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सानू सिंह पुत्र मनबहाल सिंह निवासी रूद्रपुर विशेन थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-207/23, धारा 379,411 भादवि व 207 एमवी एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 60 लीटर डीजल।

02. 40 ली0 पेट्रोल।

03. घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन UP51AT2968 महिन्द्रा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय टीम थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कौडिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सरदार कुरैशी पुत्र फौजदार कुरैशी निवासी ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 71/2023, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. छैलू पुत्र ननकू निवासी जैतपुर माझा थाना- नवाबगंज जनपद – गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 110/2023, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रवण कुमार गौतम पुत्र स्व0 रामउजागर गौतम निवासी साबरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से कुल 13 अदद बन्टी बबली लाईम देशी शराब पाउच प्रत्येक मे 200 मिली शराब कुल 2.6 लीटर शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 62/2023, 02. चन्द्रभान पुत्र जय श्री निवासी ग्राम धुसवा बखरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 63/2023, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.03.2023

डीजल चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 ली0 डीजल, अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने मु0अ0स0-117/2023 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित डीजल चोरी गिरोह के 02 अभियुक्त 01. वशीम व 02. अब्दुल रहीम उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 ली0 चोरी का डीजल, घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन वोलेरो, 12 अदद 30-30 ली0 के खाली जरिकैन बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. वशीम पुत्र फारूख निवासी ग्राम भगतपुरवा मौजा पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
 02. अब्दुल रहीम उर्फ मुन्ना पुत्र अब्दुल अलीम निवासी ग्राम पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
- पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-117/2023, धारा 379,411 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 119/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 30 लीटर डीजल।
02. 12 अदद 30-30 ली0 के खाली जरिकैन।
03. घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन वोलेरो

गिरफ्तारकर्ता टीम-

व0उ0नि0 कुबेर तिवारी मय टीम गोण्डा।